# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल,** आई.ए.एस.

**इस्तगासा संख्याः—55 / 2020**

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति मेघवाल उम्र 26 साल निवासी दोलतपुरा पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975**

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री कुलदीप सिंह औलख अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

**निर्णय** **दिनांकः—12.03.2022**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना टिब्बी द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति मेघवाल उम्र 26 साल निवासी दोलतपुरा पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, हथकढ़ शराब बनाने व बेचने का कार्य करता है एवं गरीब लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है जिससे समाज में अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। उक्त गैर सायल की काफी आपराधिक गतिविधियां है मगर यह पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है। कई बार पुलिस की पकड़ में नहीं आने के कारण इसकी आपराधिक गतिविधियां रिकॉर्ड में नहीं आती है। इसके भय से आम आदमी सूचना नहीं देते है। पुलिस थाना, टिब्बी के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

| क्र. सं. | मु. नं. | धारा | नतीजा पुलिस | नतीजा अदालत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 383/19.11.19 | 13 आरपीजीओ | चालान 20.05.16 | सजा 23.10.19 |
| 2 | 28/14.09.19 | 13 आरपीजीओ | चालान 20.05.16 | सजा 11.12.19 |
| 3 | 344/04.11.18 | 13 आरपीजीओ | चालान 20.05.19 | सजा 08.11.19 |

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति मेघवाल उम्र 26 साल निवासी दोलतपुरा पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर दिनांक 26.08.2021 को जवाब इस्तगासा पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

Web Copy - Not Official

गैरसायल के वकील ने जवाब इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा झुठे बनाये गये थे। प्रार्थी अत्यधिक गरीब व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तथा मानीय न्यायालय की लोक अदालत में प्रेरित करने पर उक्त मुकदमा में जुर्म स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त मुकदमों के अलावा आमजन को डराने धमकाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रार्थी के खिलाफ नहीं है ना ही प्रार्थी से आमजन की सम्पत्ति को खतरा हो बल्कि पुलिस द्वारा अपना कोटा बनाने के लिये बार–बार झुठे मुकदमें दर्ज किये गये है। इसके बाद प्रार्थी पर कोई मुकदमा नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा हल्फनामा इस आश्य का प्रस्तुत किया कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में जैरकार नहीं है। प्रार्थी मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहा हूं व शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा हूं। आज के बाद से किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई–झगड़ा नहीं करेगा और नही किसी भी प्रकार की परशान्ति भंग करेगा। इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए इसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(III) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को एक वर्ष की अवधि तक शांति बनाये रखने हेतु 500, 100 व 250 रूपये के जमानत मुचलका पर पाबन्द किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2015 से 2018 में दर्ज किये गये है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन–यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में गैरसायल को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने व कस्बा में सामाजिक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा ड्रॉप(Drop) किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़